न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- चतुर्थ/
विशेष न्यायाधीश, गिरोहबन्द अधि०, औरैया।

CNR-No-UPAU-010003292009

[J.O. Code-UP-6359]

पीठासीन अधिकारी- महेश चन्द्र वर्मा (एच०जे०एस०)

विशेष (गिरोहबन्द) सत्र परीक्षण सं०-370/2012

राज्य बनाम स्वदेश कुमार

मु०अ०सं०-171/2007

धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर अधि०

थाना-बेला, जिला-औरैया।

11.02.2020- पुकारा गया।

पत्रावली अति प्राचीन वाद है तथा वर्ष 2007 से विचाराधीन है।

अभियुक्त स्वदेश अनुपस्थित।

न्यायालय के आदेश दिनांक-17.01.2020 के अनुपालन में जारी गैर जमानतीय अधिपत्र व धारा-82 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अधिपत्र सम्बन्धित थानाध्यक्ष बेला द्वारा तामीला अथवा अदम तामीला में न तो वापस किया गया और न ही उक्त आदेशानुसार उक्त अभियुक्त स्वदेश कुमार के चल व अचल सम्पत्ति का विवरण ही प्रस्तुत किया गया। जबकि उक्त आदेश पत्र के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त अधिपत्र सम्बन्धित थाने के पैरोकार द्वारा दिनांक-22.01.2020 को प्राप्त किया गया है।

इस प्रकार न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-17.01.2020 के अनुपालन में सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा उक्त अधिपत्रो का तामीला अथवा अदम तामीला में वापस न करना न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। जो अन्तर्गत धारा-349 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा-23/29 पुलिस अधिनियम तथा न्यायालय अवमानना अधिनियम दण्डनीय है।

अतः सम्बन्धित थानाध्यक्ष- बेला को नोटिस जारी हो। वह नियत तिथि को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि- उसके द्वारा न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन न करने व न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के कारण क्यों न उसे विधि-अनुसार दण्डित किया जाय।

उक्त थानाध्यक्ष नियत तिथि तक उक्त अधिपत्रों का तामीला व उक्त आदेश दिनांक-17.01.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त/आरोप दिनांक-26.02.2020 को पेश हो।

(महेश चन्द्र वर्मा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ

विशेष न्यायाधीश/गिरोहबन्द अधि०,औरैया